न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,सहरसा

<u>नियमित जमानत आवेदन संख्या–131/2025</u>

1. हीरा यादव ....आवेदक

बनाम

1. बिहार सरकार ....विपक्षी

<u>17.04.2025</u>

कराधीन आवेदक/अभियुक्त हीरा यादव पिता–लक्षमण यादव की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। प्रस्तुत कांड सौरबाजार थाना कांड संख्या–86/2024(एस) धारा–302,34 भा.द.वि. के अंतर्गत दर्ज है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार की ओर से नियमित जमानत आवेदन वापस लेने हेतु एक आवेदन दाखिल कर कहा गया है कि वाद दौरा सुपूर्दगी के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सहरसा के न्यायालय में अंतरण होकर विचारण हेतु आ गया है। इसलिए उपरोक्त नियमित जमानत आवेदन वापस लेना चाहता है। विद्वान अपर लोक अभियोजक अधिवक्ता के वापसी आवेदन से सहमति प्रकट करते हैं।

सुना। विद्वान अधिवक्ता के प्रार्थना पर उनकी ओर से दाखिल वापसी आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं इसके आधार पर नियमित जमानत आवेदन **<u>खारिज</u>** किया जाता है।

लेखापित

प्र0 अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम